न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी बज्जू

पीठासीन अधिकारीः– सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः– 59/2025

जयकिशन पुत्र खींवराज चाण्डक जाति महाजन साकिन बरसलपुर हाल जस्सुसर गेट के अन्दर तहसील व जिला बीकानेर।

.......**प्रार्थी**

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, बज्जू।

.......**अप्रार्थी**

उपस्थितिः– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमरतन बिश्नोई उपस्थित
2. राजपेरोकार स्टेट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.12.2025

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट 1956 के तहत खाता दुरुस्ती हेतु प्रार्थी जयकिशन पुत्र खींवराज चाण्डक जाति महाजन साकिन बरसलपुर हाल जस्सुसर गेट के अन्दर तहसील व जिला बीकानेर द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बरसलपुर के चक 13 डीओबीबी–बी के मुरबा नम्बर 180/41 के किला नम्बर 25 में 17 बिस्वा कमाण्ड, मुरबा नम्बर 180/49 के किला नम्बर 3, 7 ता 8, 11 ता 14, 18 ता 20, 21 ता 23 में 13.16 बीघा कमाण्ड, मुरबा नम्बर 180/50 किला नम्बर 1 ता 2 में 2 बीघा कमाण्ड, मुरबा नम्बर 180/42 किला नम्बर 4 ता 8, 13, 14, 18, 19, 22, 23 में 11 बीघा कमाण्ड, मुरबा नम्बर 180/43 किला नम्बर 2 में 1 बीघा अनकमाण्ड कुल 28.08 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 4 एचएलएम के मुरबा नम्बर 137/12 किला नम्बर 9 में 8 बिस्वा, 10 में 10 बिस्वा, 11 ता 12 में 2 बीघा, 13 में 7 बिस्वा, 17 में 2 बिस्वा, 18 में 13 बिस्वा, 19 में 1 बीघा, 23 में 1 बीघा, 24 में 10 बिस्वा कुल 7 बीघा अनकमाण्ड व मुरबा नम्बर 137/4 किला नम्बर 5 में 3 बिस्वा, 6 में 1 बीघा कुल 1 बीघा 3 बिस्वा अनकमाण्ड व मुरबा नम्बर 137/13 किला नम्बर 3 में 1 बीघा, 4 में 19 बिस्वा कुल 1 बीघा 19 बिस्वा अनकमाण्ड व चक 2 एचएलएम के मुरबा नम्बर 137/11 किला नम्बर 21 में 15 बिस्वा, 22 में 19 बिस्वा, मुरबा नम्बर 137/20 किला नम्बर 11, 19, 20, 21 ता 23 में 6 बीघा अनकमाण्ड, मुरबा नम्बर 137/12 किला नम्बर 2 में 3 बिस्वा, 3 में 8 बिस्वा, 6 में 1 बीघा, 7 में 9 बिस्वा, 14 में 1 बिस्वा, 15 में 11 बिस्वा, 16 में 5 बिस्वा कुल 3 बीघा 2 बिस्वा अनकमाण्ड व मुरबा नम्बर 137/21 किला नम्बर 1 में 3 बिस्वा कुल 10 बीघा 19 बिस्वा अनकमाण्ड कृषि भूमि स्थित है जिस पर वादी बन्दोबस्ती समय से ढाणी व कुण्ड बनाकर परिवार सहित काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित भूमि बन्दोबस्ती समय से ही प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है जिस पर प्रार्थी अपने परिवार सहित ढाणी व कुण्ड बनाकर काबिज काश्त है। यह कि प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि चक 4 एचएलएम खाता सं. 49 व चक 2 एचएलएम खाता सं. 59 में प्रार्थी के पिता का नाम सहबन से खींवराज चाण्डक के स्थान पर खेमाराम दर्ज हो गया है जो कि उक्त गलत नाम का अंकन लिपिकीय त्रुटिवश हुआ है जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि चक 13 डीओबीबी बी में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम जयकिशन पुत्र खींवराज चाण्डक दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। प्रार्थी अपने दस्तावेजी साक्ष्यों व पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान आधार जमाबंदी में अपने पिता का सही व वास्तविक नाम खींवराज चाण्डक दुरस्त करवाना चाहता है, जिसे दुरस्त किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा कई बार चक 4 एचएलएम व 2 एचएलएम के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम खेमाराम के स्थान पर वास्तविक व सही नाम खींवराज चाण्डक दुरस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया गया, परन्तु अप्रार्थी द्वारा स्पष्ट मना कर दिए जाने पर उक्त दुरस्ती प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में खातेदारी सनद, आधार कार्ड, परिचय पत्र, शपथ पत्र, जमाबंदी की प्रति आदि दस्तावेज पेश किये।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकाराज ने अपने जवाब में दुरूस्ती पर कोई आपत्ति नहीं की व अपनी तरफ से सहमति प्रदान की गई। प्रार्थी द्वारा बतौर साक्ष्य/सबूत के रूप में खातेदारी सनद, आधार कार्ड, परिचय पत्र, शपथ पत्र, जमाबंदी आदि की प्रतियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 एचएलएम खाता सं. 49 व चक 2 एचएलएम खाता सं. 59 में प्रार्थी के पिता का नाम सहबन से खींवराज चाण्डक के स्थान पर खेमाराम दर्ज हो गया है, जिसे दुरूस्त करवाने बाबत् निवेदन किया है।

अतः पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 एचएलएम खाता सं. 49 व चक 2 एचएलएम खाता सं. 59 में उपरोक्तानुसार वर्णित कृषि भूमि में दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तददानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर उपरोक्तानुसार रिकॉर्ड में अंकन करे। तहसीलदार भू.अ. बज्जू को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

(सांवरमल रैगर)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू
दिनांकः–

क्रमांक :–

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू
उपखण्ड अधिकारी
बज्जू जिला–बीकानेर